



अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
ग्राम-मुगालिया कोट, (सूखी रोवनिया) विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2558606, वेब स्थल : www.abvvhv.edu.in

क्रमांक/2022/अ.के./अबिवाहिविवि/1549

भोपाल, दिनांक : 6/9/22

अधिसूचना

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यादेश क्रमांक -01 की कंडिका 4(i) में निहित प्रावधानुसार विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को नामांकन करना होता है।

विश्वविद्यालय की परामर्शदात्री परिषद की बैठक दिनांक 26.08.2022 में की गई अनुशंसा पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.08.22 में छात्रहित में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों में संचालित पत्रोपाधि एवं स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेशित ऐसे छात्र/छात्राओं को जिन्हें किसी कारणवश स्थानांतरण एवं आव्रजन प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाओं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इन विद्यार्थियों को सत्र 2021-22 में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं आव्रजन प्रमाण प्राप्त नहीं हो पाने का उचित कारण दर्शाते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नोटराइज्ड शपथ पत्र जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है इसको प्रस्तुत करना होगा तभी उनके नामांकन पर विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार

(यशवंत सिंह पटेल)
कुलसचिव

प.क्रमांक/अ.के./2022/ 1550

भोपाल, दिनांक : 6/9/22

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
3. निदेशक/सह निदेशक अध्ययन केंद्र अबिवाहिविवि की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त अध्ययन केंद्र प्रभारी की ओर सूचनार्थ।
4. स्थापना शाखा/परीक्षा शाखा/ वित्त शाखा/भण्डार शाखा अबिवाहिविवि की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी, आईटीसी, अबिवाहिविवि की ओर सूचनार्थ।
6. आदेश पुस्तिका।

कुलसचिव

शपथ-पत्र

(विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु अध्ययन केंद्रों के छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप)

मैं..... आत्मज निवासी.....

..... अध्ययन केंद्र क्रमांक में.....

(पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेशित हूँ। मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि मुझे ज्ञात हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यादेश क्रमांक-01 के अनुसार नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं आब्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
2. यह कि मेरे द्वारा सत्र..... में(अंतिम परीक्षा)(विद्यालय/शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय) से नियमित छात्र/छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की गई है।
3. यह कि मैंने स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु.....विद्यालय/महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था किंतु..... के कारण से स्थानांतरण प्रमाण-पत्र अप्राप्त है।
4. यह कि मैंने आब्रजन प्रमाण पत्र हेतु.....शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था किंतु..... के कारण से आब्रजन प्रमाण-पत्र अप्राप्त है।
5. यह कि मैं नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नोटसर्ईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बिंदु क्रमांक 1 से लेकर 5 तक प्रस्तुत जानकारी सही है और इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मुझे मान्य होगा।

शपथग्रहिता

नाम.....

पता.....

.....

प्रवेश आवेदन क्रमांक

सत्यापन

मैं..... आत्मज निवासी.....

..... शपथपूर्वक कथन करता हूँ। कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे विश्वास से सही है। यदि इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

सत्यापनकर्ता

शपथग्रहिता

नाम.....

पता.....

.....

प्रवेश आवेदन क्रमांक

स्थान :

दिनांक :